



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2015/चैत्र 4, 1937

No. 634]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2015/CHAITRA 4, 1937

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2015

का.आ. 833(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) तीन सौ तेरहवां संशोधन नियम, 2015 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" उप-शीर्षक के अधीन,—
 - (i) प्रविष्टि 15 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
"15क. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।";
 - (ii) प्रविष्टि 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
"16. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले—
(क) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट (दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन) को अनुदान।
(ख) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी को अनुदान।
(ग) स्पास और स्वास्थ्य स्थल।
(घ) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड।
(ङ) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र।
(च) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।
(छ) अखिल भारतीय वाकशक्ति और श्रवणशक्ति संस्थान।
(ज) भारतीय पेस्चयुर संस्थान।

- (झ) भौतिक चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र, किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल ।
 (ञ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ।
 (ट) हॉस्पिटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन लिमिटेड । ”।

प्रणब मुखर्जी
 राष्ट्रपति

[फा.सं. 1/21/30/2014-मंत्रि.]

संयुक्ता राय, निदेशक

**CABINET SECRETARIAT
 NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2015

S.O. 833(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Thirteenth Amendment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2015.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE, under the heading “MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN VIBHAG)” —
 - (i) after entry 15, the following entry shall be inserted, namely: —
 “15 A. Rashtriya Swasthya Bima Yojana.”;
 - (ii) for entry 16, the following entry shall be substituted, namely,—
 “16. All Matters relating to-
 - (a) Grants to Vallabhbai Patel Chest Institute (under Delhi University).
 - (b) Grants to Indian Red Cross Society.
 - (c) Spas and Health resorts.
 - (d) National Board of Examination.
 - (e) Chittaranjan National Cancer Research Centre.
 - (f) All India Institute of Medical Sciences.
 - (g) All India Institute of Speech and Hearing.
 - (h) Pasteur Institute of India.
 - (i) Physiotherapy Training Centre, King Edward Memorial Hospital.
 - (j) National Institute of Mental Health and Neuro Sciences.
 - (k) Hospital Services Consultancy Corporation Limited.”.

PRANAB MUKHERJEE

President

[F. No. 1/21/30/2014-Cab.]

SANJUKTA RAY, Director